रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092023-249019
CG-DL-E-27092023-249019

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 548] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 2023/ आश्विन 4, 1945
No. 548] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2023/ ASVINA 4, 1945

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

औषध विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 692(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) की धारा 36 की उपधारा (1) के अनुसरण में, कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से संस्थान के शासी बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 27 के अधीन बनाए गए राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के पहले परिनियमों का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. (1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) परिनियम, 2023 है ।

(2) यह इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिनियमों में,-

(क) परिनियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित परिनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**9. निदेशक की नियुक्ति.-** (i) संस्थान का निदेशक, पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए, जो पांच वर्ष की एक और अवधि के लिए नवीकरणीय होगी, परंतु ऊपरी आयु सीमा सत्तर वर्ष से अधिक नहीं होगी, संविदा आधार पर कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(ii) संस्थान का निदेशक, संस्थान और निदेशक के मध्य की गई सेवा संविदा, जो अनुसूची के अनुसार दी गई है, के निबंधनों और शर्तों से शासित होगा ।";

(ख) परिनियम 23 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"अनुसूची

कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त व्यक्ति की पांच वर्ष के लिए संविदा पर संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन किया जाता है और नियुक्त व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति को इसके पश्चात् आने वाली निबंधनों और शर्तों पर स्वीकार करता है । अत:, अब, उपस्थित साक्षी और इसके पक्षकार क्रमश: निम्नलिखित के लिए सहमत हैं:-

(1) सेवा का करार, हर समय इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया गया समझा जाएगा, जो स्थायी पुष्ट किए गए कर्मचारियों पर समय-समय पर यथा लागू के रूप में संस्थानों को समाविष्ट करते हुए प्रवृत्त होते हैं ।

(2) नियुक्त व्यक्ति, संविदा के अधीन पद धारण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सेवा पर रहेगा ।

(3) नियुक्त व्यक्ति, संस्थान का प्रधान शैक्षिक और कार्यकारी अधिकारी होगा और उक्त अधिनियम में उपबंधित शक्तियों और कर्तव्यों के साथ संस्थान के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में संस्थान की सेवा करेगा ।

(4) नियुक्त व्यक्ति, अपना पूरा समय संस्थान की सेवा में समर्पित करेगा और आचार नियमों तथा उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन होगा । नियुक्त व्यक्ति द्वारा अपनी सेवा के दौरान या उसके संबंध में प्राप्त की गई कोई सूचना और वह कार्य जिसके लिए वह नियोजित है, गुप्त और गोपनीय माना जाएगा और नियुक्त व्यक्ति सभी पहलुओं में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) के अधीन समझा जाएगा ।

(5) अपनी सेवा अवधि के दौरान निलंबन की किसी भी अवधि और बिना वेतन छुट्टी की किसी अवधि के भी सिवाय, नियुक्त व्यक्ति भारतीय आयकर के अधीन दो लाख पच्चीस हजार (नियत) के वेतनमान का हकदार होगा:

परंतु यदि किसी भी समय नियुक्त व्यक्ति भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर जाता है, तो उसकी प्रतिनियुक्ति के दौरान उसका वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो शासी बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए जाएं, इसके अतिरिक्त नियुक्त व्यक्ति महंगाई भत्ते, नगर प्रतिकरात्मक भत्ते, आदि, जो संस्थान के नियमों के अनुसार समय-समय पर अनुज्ञेय हों, आहरित करेगा ।

(6) इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियुक्त व्यक्ति, संस्थान द्वारा जब तक अन्यथा विनिश्चित नहीं किया जाए वेतनमान के पुनरीक्षण और सेवानिवृत्ति फायदों में किसी भी सुधार के फायदों को पूर्णत: या भागत:, जो संस्थान द्वारा अवधारित किए जाएं, प्राप्त करने का हकदार होगा, जो संस्थान की उस शाखा के सेवा सदस्यों के निबंधनों और शर्तों में इन विलेखों की तारीख के अधीन रहते हुए संस्थान द्वारा प्रभावी हो सकेगा, जिस सेवा से वह तत्समय संबंधित हो, नियुक्त व्यक्ति की सेवा के निबंधनों और शर्तों में ऐसे सुधार की बाबत संस्थान का विनिश्चय प्रचालित होगा, जिससे इन विलेखों के उपबंधों को उस विस्तार तक उपांतरित किया जा सके ।

(7) नियुक्त व्यक्ति परिनियमों के अधीन संस्थान के स्थायी गैर-प्रावकाश कर्मचारियों को अनुज्ञेय छुट्टी के हकदार होंगे ।

(8) नियुक्त व्यक्ति, संस्थान के परिसर में अनुज्ञप्ति फीस से मुक्त कार्यालय-सह-आवासीय आवास सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसा संस्थान के शासी बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया जाए ।

(9) नियुक्त व्यक्ति, विद्यमान नियमों के अनुसार चिकित्सा सहायता और उपचार के संबंध में विशेषाधिकार का पात्र होगा ।

(10) नियुक्त व्यक्ति को संस्थान में पदग्रहण करने के लिए केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरण यात्रा भत्ते नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति को लोकहित में स्थानांतरण के रूप में मानते हुए केन्द्रीय सरकार के समतुल्य पंक्ति के किसी अधिकारी को अनुज्ञेय यात्रा भत्ते संदत्त किए जाएंगे । यदि नियुक्त व्यक्ति से संस्थान के कार्य के हित में यात्रा किया जाना

अपेक्षित है, तो वह संस्थान के समय-समय पर प्रवृत्त यात्रा भत्ता नियमों में उपबंधित यात्रा भत्ते और वेतनमान का हकदार होगा ।

(11) नियुक्त व्यक्ति द्वारा अपने खर्च पर प्रकाशित की गई पुस्तकों और लेखों से प्राप्त कोई रकम उस क्षेत्र में अपना काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में उसके पास छोड़ दी जाएगी । उसे, बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिकथित नियमों के अनुसार परामर्श देने और उसके लाभों को बनाए रखने की अनुमति भी दी जाएगी ।

(12) इस संविदा के अधीन सेवा के दौरान किसी भी समय नियुक्त व्यक्ति को कोई कारण बताए बिना तीन कैलेंडर मास उसकी लिखित सूचना देकर किसी भी समय संस्थान द्वारा संविदा की अवधि के दौरान की सेवा का पर्यवसान किया जा सकेगा:

परंतु संस्थान, यहां प्रदत्त की गई सूचना के बदले में नियुक्त व्यक्ति को तीन महीने के उसके मूल वेतन की रकम के समतुल्य राशि दे सकता है । नियुक्त व्यक्ति संस्थान को तीन कैलेंडर मास की लिखित सूचना देकर अपनी सेवाओं का पर्यवसान कर सकेगा ।

(13) नियुक्त व्यक्ति को अपनी विशेषज्ञता के विभाग में प्राचार्य की प्रास्थिति अनुज्ञात की जाएगी और वह अपनी सुविधा के अधीन रहते हुए उक्त विभाग में अध्यापन और अनुसंधान में भाग लेगा ।

(14) किसी अन्य विषय की बाबत, जिसके लिए इस करार में कोई उपबंध नहीं किया गया है, नियुक्त व्यक्ति उक्त राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998(1998 का 13) या तत्समय प्रवृत्त उसके किसी उपांतरण और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों द्वारा शासित होगा ।

उपरोक्त लिखित के साक्षी के रूप में संस्थान के शासी बोर्ड के अध्यक्ष और नियुक्त व्यक्ति ने इसमें पहले तारीख और वर्ष लिखकर हस्ताक्षर किए हैं ।

हस्ताक्षर और संस्थान के शासी बोर्ड

के द्वारा राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और

अनुसंधान संस्थान के लिए परिदत्त

हस्ताक्षरित पतों के साथ साक्षियों के हस्ताक्षर की उपस्थिति में और उक्त नियुक्त व्यक्ति द्वारा---- साक्षी, पता----------

की उपस्थिति में ----------निदेशक राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को परिदत्त किया गया।"

[सं. 50013/3/2023-एनआईपीईआर]

रजनीश टिंगल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 391, तारीख 30 अक्तूबर, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 113, तारीख 24 अगस्त, 2022 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2023

G.S.R. 692(E) .— In pursuance of sub-section (I) of section 36 of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998 (13 of 1998), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the first statutes of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research made under section 27 of the said Act by the Board of Governors of the Institutes with the previous approval of the Visitor, namely:-

IndiaCode

2. (1) These Statutes may be called the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Statutes, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Statutes,- (a) for statute 9, the following statute shall be substituted, namely:-

"9. APPOINTMENT OF DIRECTOR.- (i) The Director of the Institute shall be appointed by the National Institute of Pharmaceutical Education and Research *Council with the prior approval of the Visitor on a contract basis for a period not exceeding five years, renewable for one more term of five years provided that the upper-age limit does not exceed seventy years.*

(ii) The Director of the Institute shall be governed by the terms and conditions of the contract of service entered into between the Institute and the Director which is given as per Schedule.'';

(b) after statute 23, the following Schedule shall be inserted, namely:-

"SCHEDULE

The Visitor has been pleased to approve the appointment of the appointee as the Director of the Institute on contract for five years and the appointee has accepted such appointment upon the terms and conditions hereinafter appearing. NOW THESE PRESENTS WITNESSTH and the parties hereto respectively agree as follows:-

[1] This agreement of service shall be deemed to have been entered into subject at all times to the provisions of the Act, covering the Institutes as in force from time to time as applicable to permanent confirmed employees.

[2] The appointee shall be on service under the agreement for a period of five years with effect from date of joining the post or till he attains the age of 70, whichever is earlier.

[3] The appointee shall be the Principal academic and Executive Officer of the Institute and serve the Institute as the whole time Director of the Institute with powers and duties provided in the said Act.

[4] The appointee shall devote his whole time to the service of the Institute and will be subject to the Conduct Rules and other provisions of the said Act. Any information obtained by appointee during or in connection with his service and the work upon which he is engaged shall be treated as secret and confidential and appointee shall be deemed in all respects to be subject to the Indian Officials Secrets Act, 1923 (19 of 1923), as amended from time to time.

[5] During the period of his service except in respect of any period of suspension and also of any period of leave without pay, the appointee shall be entitled subject to the Indian Income Tax to the Pay Scale of Rs. 2,25,000 (fixed) provided that if any time the appointee proceeds on deputation out of India, his pay and allowances during the period his deputation will be such as may be decided by the Board of Governors in addition, the appointee shall draw allowances like Dearness Allowance, City Compensatory Allowance etc. as may be admissible from time to time as per rules of the Institute.

[6] Notwithstanding anything hereinbefore contained, the appointee shall unless otherwise decided by the Institute be entitled to receive the whole or in part as may be determined by the Institute the benefits of any improvements in the revision of scale of pay and in retirement benefits that may be affected by the Institute subject to the date of these presents in the terms and conditions of the service of members of the branch of Institute, service to which he may for the time being belong, the decision of the Institute in respect of such improvement in the terms and conditions of their service of appointee shall operate so as to modify to that extent the provisions of these presents.

[7] The appointee shall be entitled to leave as admissible to permanent non-vacation employees of the Institute under the Statues.

[8] The appointee shall be entitled to furnished free of license fee office cum residential accommodation in the campus of the Institute as may be sanctioned by the Board of Governors of the Institute.

[9] The appointee shall be eligible for privilege in relation to medical attendance and treatment as per existing rules.

[10] The appointee shall be paid travelling expenses for joining the Institute as admissible to an officer of the Central Government of equivalent rank under the Transfer Travelling Allowances Rules of the Central Government deeming the appointment of the appointee as on transfer in the public interest. If the appointee is required to travel in the interest of Institute work, he shall be entitled to travelling allowance and the scale provided for in the Travelling Allowances Rules of the Institute in force from time to time. Similarly the appointee shall be entitled to leave travel concession for visiting his hometown as per the Rules of the Institute.

[11] Any amount received by the appointee from books and articles published by him at his cost shall be left to him as an encouragement for continuing his work in that line. He would also be allowed to do consultancy and retain benefits of the same as per rules laid down by the Board from time to time.

[12] The service of appointee may during the period of contract, be terminated by the Institute at any time by three calendar months notice in writing given at any time during service under this contract without any cause assigned. Provided always the Institute may in lieu of the notice herein provided to give the appointee a sum equivalent to the amount of his basic pay for three months. The appointee may terminate his service by giving to the Institute three calendar months notice in writing.

[13] The appointee will be allowed the status of Professor of the Department of his specialty and take part in teaching and research in the said Department subject to his Convenience.

[14] In respect of any matter for which no provision has been made in his agreement the appointee will be governed by the said National Institutes of pharmaceuticals Education and Research Act, 1998 (13 of 1998) or any modification thereof for the time being in force and the Statutes to be made thereunder.

IN WITNESS WHEREOF on the day and the year first above written, the Chairperson of the Board of Governors of the Institute has hereinto set his hand and the appointee has hereinto set his hand.

Signed and delivered for the

National Institute of Pharmaceutical Education and Research

by the Chairperson,

Board of Governors of the Institute

In the presence of signature of witnesses with addresses signed and delivered by the said appointee in the presence of _____ Signature of_____witness with addresses_____ Director, National Institute of Pharmaceutical Education and Research _____".

[No. 50013/3/2023-NIPER]

RAJNEESH TINGAL, Jt. Secy

Note:- The National Institute of Pharmaceutical Education and Research Statues were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 391, dated the 30th October, 2003, and last amended *vide* G.S.R. 113, dated 24th August, 2022.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.06.27 16:08:51 +05'30'